(11)

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

राजस्व रेफरेन्स संख्या : 01/2018(आरसीएमएस संख्या : 2018/00075)

सरकार जरिये तहसीलदार, सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. हुसैन खां पुत्र अली खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
2. सिराज खां पुत्र अली खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
3. शहजादी पत्नी स्व0 श्री रोशन खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
4. अलाबक्श खां पुत्र शहाबुद्धीन खां, जाति–मुसलमान, निवासी–खोनागोरियान, तहसील –सांगानेर।
5. अनवर खां पुत्र शहाबुद्धीन खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।(मृतक)
   - 5/1 हलीजन पत्नी स्व0 श्री अनवर खां, जाति–मुसलमान, नि0–बड़ली की ढ़ाणी, खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।(मृतक)
   - 5/2 ईदू खां पुत्र स्व0 श्री अनवर खां, जाति–मुसलमान, नि0–बड़ली की ढ़ाणी, खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
   - 5/3 बाबू खां पुत्र स्व0 श्री अनवर खां, जाति–मुसलमान, नि0–बड़ली की ढ़ाणी, खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
   - 5/4 निजाम खां पुत्र स्व0 श्री अनवर खां, जाति–मुसलमान, नि0–बड़ली की ढ़ाणी, खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
   - 5/5 सईदन पुत्री स्व0 श्री अनवर खां पत्नी श्री आलमशेर, जाति–मुसलमान, नि0–खजूरिया की ढ़ाणी, ग्राम–चाकसू, जिला–जयपुर।
   - 5/6 भूरी पुत्री स्व0 श्री अनवर खां पत्नी श्री गुलशेर, जाति–मुसलमान, नि0–खजूरिया की ढ़ाणी, ग्राम–चाकसू, जिला–जयपुर।
   - 5/7 काली पुत्री स्व0 श्री अनवर खां पत्नी श्री बशीर, जाति–मुसलमान, नि0–सिरूज्या की ढ़ाणी, ग्राम–चाकसू, जिला–जयपुर।
   - 5/8 अनूणी पुत्री स्व0 श्री अनवर खां पत्नी श्री मजीत, जाति–मुसलमान, नि0–सिरूज्या की ढ़ाणी, ग्राम–चाकसू, जिला–जयपुर।(मृतक)
6. बाबू खां पुत्र छोटू खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
7. फरीद खां उर्फ कल्लू खां पुत्र छोटू खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
8. अब्दुल मजीद पुत्र इस्माइल खां, जाति– मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
9. रमजानी उर्फ मुन्ना पुत्र इस्माइल खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
10. अलानूर पुत्र इस्माइल खां, जाति–मुसलमान,नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
11. नजीर खां पुत्र मदारी खां, जाति–मुसलमान,नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
12. अब्दुल सलाम पुत्र मदारी खां, जाति–मुसलमान,नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
13. फकीर मोहम्मद पुत्र मदारी खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।
14. अजीम खां पुत्र छोटू खां, जाति–मुसलमान, नि0–खोनागोरियान, तहसील–सांगानेर।

अप्रार्थीगण,

(राजस्व रेफरेन्स अन्तर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955)

उपस्थिति :–

1. पेरोकार सरकार ।
2. अब्दुल हकीम, अभिभाषक, अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 10 की ओर से।
3. अप्रार्थी संख्या 5/1 लगायत 5/8 व 11 लगायत 14 बावजूद सूचना असालतन/वकालतन अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

निर्णय **दिनांक : 26.11.2019**

तहसीलदार, सांगानेर द्वारा यह निवेदन किये जाने पर कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम खो–नागोरियान की आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा अली खां व अलाबक्स व अनवर खां व इसमाइल खां पि0 शाहबुद्दीन खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह हि0 व0 गैर–खातेदार किस्म जमीन तालाबी अव्वल तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा स. तालाबी दोयम रमजू खां पुत्र दलेल खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह गैर–खातेदार दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1956 रकबा 1.13 हे0 तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1957 रकबा 1.35 हे0 व ख0 नं0 1958 रकबा 1.30 हे0 हुसैन खां वगैराह तथा नजीर खां वगैराह की खातेदारी में तथा किस्म जमीन पेटातालाबी नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 अनुसार दर्ज है। तालाबी/पेटातालाबी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। अतः विवादग्रस्त आराजी को सिवायचक पेटाबन्ध दर्ज किए जाने के आदेश फरमावें।

विद्वान् पेरोकार सरकार का कथन है कि खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम खो–नागोरियान की आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा अली खां व अलाबक्स व अनवर खां व इसमाइल खां पि0 शाहबुद्दीन खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह हि0व0 गैर–खातेदार किस्म जमीन तालाबी

अव्वल तथा आ0 ख0 नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा स. तालाबी दोयम रमजू खां पुत्र दलेल खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह गैर–खातेदार दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1956 रकबा 1.13 हे0 तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1957 रकबा 1.35 हे0 व ख0 नं0 1958 रकबा 1.30 हे0 हुसैन खां वगैराह तथा नजीर खां वगैराह की खातेदारी में तथा किस्म जमीन पेटा–तालाबी नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 अनुसार दर्ज है। भू–प्रबन्ध सम्वत् 2015–2034 में राजस्व रिकार्ड में दर्ज नदी, नाला, झील, नाडी, तलाई, तालाब, जलाशय की भूमि पर निजी खातेदारी अधिकार दिये जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी. सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में ऐसी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिये गये हैं। विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा अली खां व अलाबक्स व अनवर खां व इसमाइल खां पि0 शाहबुद्दीन खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह हि0 व0 गैर–खातेदार किस्म जमीन तालाबी अव्वल तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा स. तालाबी दोयम रमजू खां पुत्र दलेल खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह गैर–खातेदार को खातेदारी दी जाकर दर्ज राजस्व अभिलेख किया गया है जबकि विवादग्रस्त आराजी राजस्व अभिलेख खतौनी बन्दोबस्त सम्वत् 2015–2034 में यह आराजी तालाबी व हाल रिकार्ड में पेटा–तालाबी दर्ज है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के अन्तर्गत विवादग्रस्त आराजी खातेदारी हेतु/आवंटन हेतु वर्जित है और इस धारा 16 में स्पष्ट प्रावधान है कि ऐसी आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नही होगें। कृषि प्रयोजनार्थ भूमि के आवंटन हेतु राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 राज्य सरकार द्वारा बनाये गये है और ये शासकीय राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रभावशील हुए है। आवंटन नियम 1970 के नियम 4 में भी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 में वर्णित भूमियों को कृषि प्रयोजनार्थ आवंटन हेतु उपलब्ध नहीं होने का प्रावधान है। इस प्रकार अधिनियम/नियम में दर्ज प्रावधानों के विपरीत तालाबी/पेटा–तालाबी की आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण को दी गई है। जो कानूनी प्रावधानों के विपरीत होने से अवैध है और ऐसे अवैध खातेदारी का राजस्व अभिलेखों में दर्ज इन्द्राज प्रारंभ से शून्य है। ऐसी स्थिति में दी गई खातेदारी के परिणामस्वरूप राजस्व अभिलखों में अब तक किये गये इन्द्राजों को निरस्त किया

जाना न्यायोचित है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किये जाने के संबंध मे समय सीमा बाधित नहीं हैं। रेफरेन्स कभी भी प्रस्तुत किया जा सकता हैं। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 6 लगायत 10 के विद्वान् अभिभाषक श्री अब्दुल हकीम का कथन है कि रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र तथ्यों के विपरीत आधार हीन तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत किया गया है जो प्रथम–दृष्ट्या चलने योग्य नहीं होने से निरस्तनीय है। वादग्रस्त आराजी कभी भी तालाब के रूप में उपयोग में नहीं आई है वरन भू–प्रबन्ध से पूर्व ही कब्जा काश्त होने से गैर–खातेदारी से खातेदारी प्राप्त हुई है। सक्षम अधिकारी द्वारा तथ्यों की जांच कर खातेदारी प्रदान की गई है। यदि वादग्रस्त आराजी तालाबी पेटा की होती तो अप्रार्थीगण को सक्षम प्राधिकारी द्वारा खातेदारी नहीं दी जाती। आज भी अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी को कभी किसी के द्वारा चुनौती नहीं दी गई है। वादग्रस्त आराजी अप्रार्थीगण के परिवार के भरण–पोषण का एकमात्र साधन है। यदि अप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त कर दी गई तो अप्रार्थीगण बरबाद हो जावेंगे। मौके पर आज भी कोई तालाब– तलाई नहीं है। अप्रार्थीगण का कब्जा काश्त है। राजस्व रिकार्ड में गलत रूप से तालाबी/पेटा–तालाबी दर्शाई गई है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किया गया है। अत्यधिक विलम्ब से प्रस्तुत किये जाने का प्रार्थी ने कोई कारण अंकित नहीं किया है। रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र के माध्यम से अप्रार्थीगण की खातेदारी समाप्त नहीं की जा सकती है। अतः रेफरेन्स प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर ध्यानपूर्वक गौर किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में उपलब्ध खतौनी बन्दोबस्त (जमाबंदी) सम्वत् 2015–2034 में ग्राम खो–नागोरियान की आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा अली खां व अलाबक्स व अनवर खां व इसमाइल खां पि0 शाहबुद्दीन खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह हि0व0 गैर–खातेदार किस्म जमीन तालाबी अव्वल तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा स. तालाबी दोयम रमजू खां पुत्र दलेल खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह गैर–खातेदार दर्ज है, आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1956 रकबा 1.13 हे0 तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1957 रकबा 1.35 हे0 व ख0 नं0 1958 रकबा 1.30 हे0 हुसैन खां वगैराह तथा

नजीर खां वगैराह की खातेदारी में तथा किस्म जमीन पेटा–तालाबी नकल खतौनी जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 अनुसार दर्ज है। तालाबी/पेटा– तालाबी आराजी को निजी खातेदारी में दर्ज किया जाना राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के विपरीत है तथा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/03 अब्दुल रहमान बनाम सरकार में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 02.08.2004 द्वारा ऐसी निजी खातेदारियों को निरस्त करने के निर्देश दिए गए है। वरवक्त बहस विद्वान् पेरोकार सरकार ने विवादग्रस्त आराजी को राजस्व अभिलेख में तालाबी/पेटा–तालाबी दर्ज होने का कथन किया है जिसकी पुष्टि पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबंदी सम्वत् 2015–2034 से होती है और इस आराजी की खातेदारी अप्रार्थीगण को दी गई है जो जमाबन्दी सम्वत् 2063–2066 में निजी खातेदारी दर्ज होने से सिद्ध है। राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 88 व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 16 के प्रावधानों के अनुसार तालाबी/पेटा–तालाबी की भूमि की निजी खातेदारी किसी को नही दी जा सकती किन्तु अधिनियमों के प्रावधानों के विपरीत तालाबी/पेटा–तालाबी भूमि की खातेदारी दी गई हैं, जो प्रारम्भ से शून्य हैं और ऐसे प्रारम्भ से शून्य आधारित निर्णय/आज्ञा अथवा अन्य प्रक्रिया के अनुसरण मे एवं इसके पश्चात की गई नामान्तरकरण/अमल दरामद की कार्यवाही स्वतः ही अवैध हो जाती हैं। नियमानुसार तालाबी/पेटा–तालाबी भूमि का आवंटन/नियमन/खातेदारी नही दी जा सकती इसके बावजूद नियमों के विपरीत खातेदारी दी गई हैं/ली गई हैं जो प्रारम्भ से शून्य हैं। शून्य आधारित आज्ञा के परिणामस्वरूप यदि अप्रार्थीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त हुये हैं और इसके अनुसरण में राजस्व अभिलेखों में अमल दरामद हुआ हैं तो यह प्रभाव शून्य हैं। शून्य आधारित आदेश के विरूद्ध कभी भी रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया जा सकता हैं। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा डी.बी.सिविल जनहित याचिका संख्या 1536/2003 उनवानी अब्दुल रहमान बनाम सरकार वगैराह में दिये गये निर्णय की पालना में प्रार्थी तहसीलदार, सांगानेर द्वारा रेफरेन्स प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया हैं और माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के निर्णय की पालना में 15.08.1947 की स्थिति बहाल किये जाने के संबंध में सुलभ दस्तावेजात प्रतियों/साक्ष्यों की प्रतियां प्रार्थी पक्ष द्वारा प्रस्तुत की गई हैं। जिसके विपरीत अथवा इसके खण्डन में पत्रावली में अन्य कोई दस्तावेजात उपलब्ध नहीं हैं। परिणामतः उक्त विवेचनानुसार विवादग्रस्त आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा अली खां व अलाबक्स व अनवर खां व इसमाइल खां पि0 शाहबुद्दीन खां,

जाति–मुसलमान, सा0 देह हि0 व0 गैर–खातेदार किस्म जमीन तालाबी अव्वल तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा स. तालाबी दोयम रमजू खां पुत्र दलेल खां, जाति–मुसलमान, सा0 देह गैर–खातेदार दर्ज है, जो अब आराजी खसरा नम्बर 1331 रकबा 4 बीघा 08 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1956 रकबा 1.13 हे0 तथा आराजी खसरा नंबर 1331/2916 रकबा 12 बीघा 10 बिस्वा के हाल ख0 नं0 1957 रकबा 1.35 हे0 व ख0 नं0 1958 रकबा 1.30 हे0 हुसैन खां वगैराह तथा नजीर खां वगैराह की दर्ज खातेदारी निरस्त करने व किये गये इन्द्राजात एवं इसके पश्चात् अन्य व्यक्ति के नाम निजी खातेदारी में लगाए जाने की आज्ञा एवं इसके पश्चात् की समस्त कार्यवाही/इन्द्राजों को निरस्त करने तथा वापिस तालाबी/पेटा–तालाबी दर्ज करने की राय से राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 82 सपठित धारा 232 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 के अन्तर्गत रेफरेन्स स्वीकार किये जाने हेतु माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को प्रेषित है। पक्षकारान को दिनांक 28.01.2020 को प्रातः 10.00 बजे माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर उपस्थित होने हेतु पाबन्द किया गया। निर्णय की अतिरिक्त प्रतियों के साथ पत्रावली माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर को भेजी जावे।

निर्णय सरे इजलास आज दिनांक 26.11.2019 को सुनाया गया।

अति. कलक्टर (द्वितीय)
जयपुर